भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *434
23 जुलाई, 2019 को उत्तर देने के लिए

नए खाद्य प्रसंस्करण केंद्र

***434. श्रीमती अगाथा के. संगमाः**
श्रीमती किरण खेरः
क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नवस्थापित घरेलू/स्वदेशी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इस समय देश में पंजाब और चंडीगढ़ सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तर-पूर्वी राज्यों में कोई नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां/केंद्र स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्रीमती हरसिमरत कौर बादल)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

नए खाद्य प्रसंस्करण केंद्रों के बारे में 23 जुलाई, 2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 434* के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण, वर्ष 2016-17 में उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 के दौरान कुल 2651 अतिरिक्त पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें/फैक्टरियां स्थापित की गई हैं ।

(ख): उद्योगों के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण, वर्ष 2016-17 के अनुसार देश में 39,748 पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें/फैक्टरियां हैं । वर्ष 2015-16 के एनएसएसओ के 73वें चक्र के अनुसार, देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के असंगठित खंड में 24,59,929 अनिगमित उद्यम हैं । इस प्रकार के पंजीकृत एवं अनिगमित खाद्य प्रसंस्करण यनिटों/फैक्टरियों/उद्यमों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या **संलग्नक** में दी गई है ।

(ग) और (घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपने स्तर पर कोई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग/यूनिट/परियोजना स्थापित नहीं करता है । पंजाब, चंडीगढ़ तथा पूर्वोत्तर राज्यों समेत देश में कहीं भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों/यूनिटों/परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए व्यक्तियों, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओज), उद्यमियों, सहकारी समितियों, सोसायटियों, स्व-सहायता समूहों (एसएचजीज), निजी कंपनियों और केंद्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि को प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता पूंजी सब्सिडी के तौर पर दी जाती है ।

******

संलग्नक

नए खाद्य प्रसंस्करण केंद्रों के बारे में 23 जुलाई, 2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 434* के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पंजीकृत/अनिगमित खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों/फैक्टरियों/उद्यमों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार पंजीकृत यूनिटों की संख्या	एनएसएसओ, 2015-16 के 73वें चक्र के अनुसार खाद्य एवं पेय पदार्थों का निर्माण करने वाले अनिगमित उद्यमों की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	5	774
2	आंध्र प्रदेश	5,861	1,54,330
3	अरूणाचल प्रदेश	30	145
4	असम	1,409	65,997
5	बिहार	881	1,45,300
6	चंडीगढ़ (यूटी)	19	656
7	छत्तीसगढ़	1,309	26,957
8	दादर एवं नगर हवेली	8	622
9	दमन एवं दीव	32	136
10	दिल्ली	166	14,350
11	गोवा	98	2,929
12	गुजरात	2,240	94,066
13	हरियाणा	918	24,577
14	हिमाचल प्रदेश	193	21,885
15	जम्मू एवं कश्मीर	176	28,089
16	झारखंड	228	1,16,536
17	कर्नाटक	2,251	1,27,458
18	केरल	1,629	77,167
19	लक्षद्वीप	-	127
20	मध्य प्रदेश	876	1,02,808
21	महाराष्ट्र	2,808	2,29,372
22	मणिपुर	28	6,038
23	मेघालय	26	3,268
24	मिजोरम	-	1,538
25	नागालैंड	21	3,642
26	ओडिशा	1,127	77,781
27	पुदुचेरी	60	3,482
28	पंजाब	2,906	63,626
29	राजस्थान	883	1,01,666
30	सिक्किम	19	101
31	तमिलनाडु	5,077	1,78,527
32	तेलंगाना	3,969	80,392
33	त्रिपुरा	95	13,998
34	उत्तर प्रदेश	2,068	3,50,883
35	उत्तराखंड	372	18,116
36	पश्चिम बंगाल	1,960	3,22,590
	कुल	***39,748***	***24,59,929***

स्रोत: उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण 2016-17 और एनएसएसओ का 73वां चक्र